छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र कृषकों के लिए on-farm तथा off-farm हितग्राही मूलक कार्यों के लिए "मेरा खेत-मेरी माटी उपयोजना के क्रियान्वयन विषयक

(1) कृपया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से 30/12/13 को जारी परिपत्र का अवलोकन करें।

(2) कण्डिका 1 में दर्शित X1 श्रेणियों के कृषकों के यहाँ कण्डिका 2.1 तथा 2.2 के on-farm तथा off-farm कार्य किए जा सकते हैं। इसमें लगभग 85% कृषक पात्रता की श्रेणी में आते हैं। 26.1.2014 की ग्राम सभाओं में MGNREGS के shelf of Projects final होंगे। उक्त लाभमूलक कार्य 1.4.2014 से ग्राम पंचायतों के तत्वाधान में प्रारंभ हो सकेंगे।

(3) उक्त उपयोजना के लिए 33% व्यय का मार्गदर्शी सिद्धांत नियत किया गया है। 2014-15 में Rs 1000-1500 करोड़ का लाभ उक्त योजना के क्रियान्वयन में कृषकों को दिया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को हितग्राही चयन तथा तकनीकी सहयोग एवं संबंधित विभागीय योजनाओं यथा NFSM, ISOPOM, ATMA आदि में ऐसे हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की दिशा में महती भूमिका का निर्वहन करना होगा।

(4) उक्त कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्रीजी की अति प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इस हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना उचित होगा:-

(i) अतिरिक्त संचालक को संचालनालय में उक्त योजना के क्रियान्वयन/समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे।

(ii) प्रत्येक सोमवार की video-conferencing में मैदानी अमले से योजना की समीक्षा की जावे।

(iii) प्रत्येक जिले के मैदानी अमले को उपसंचालक (कृषि) द्वारा MGNREGS योजना के प्रतिनिधि के साथ RAEO तथा SADO का एक दिवसीय प्रशिक्षण तत्काल सुनिश्चित किया जावे।

→

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

No. 5386/PS/FWAD
Date 30/12/13

(iv) 26/1/2014 को पारित shelf of Projects की जिलावार कार्यवार हितग्राहियों की संख्या तथा लागत की जानकारी 15/2/2014 तक एकत्र की जावें।

(v) 1/4/2014 से RAEO तथा SADO द्वारा उक्त योजना के अधिक से अधिक कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किए जावें, सुनिश्चित किया जावे।

(vi) 2014-15 में प्रत्येक माह पृथक पृथक में प्रत्येक जिले से प्रारंभ कार्य, हितग्राही का नाम, कार्य की लागत की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की जावे।

(vii) MGNREGS की website पर उक्त कार्यों की प्रगति की daily monitoring Nodal अधिकारी के तहत cell गठित कर की जावे।

(viii) उक्त योजना में लाभान्वित हितग्राहियों में से पात्रतानुसार प्राथमिकतानुसार कृषि विभाग की विभागीय योजनाओं में लाभान्वित किया जावे।

आवश्यक कार्यवाही हेतु

संचालक
(किसान कल्याण तथा
कृषि विकास)

[signature]
30/12

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

9899
क्रमांक / / MGNREGS-MP / NRG / SLT / 2013, भोपाल, दिनांक 26 / 12 / 2013

प्रति,

- कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त)
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
- उपसंचालक, कृषि (समस्त जिला) म.प्र.

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पात्र कृषकों की कृषि योग्य भूमि व गैर कृषि योग्य भूमि पर अभिसरण अंतर्गत ली जाने वाली गतिविधियों हेतु **"मेरा खेत–मेरी माटी"** उपयोजना का क्रियान्वयन।

प्रदेश मे विगत दस वर्षो में कृषि को लाभ का धन्धा बनाने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास हुए हैं। प्रदेश में 79.08 लाख कृषको में 31.99 लाख, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत कृषक तथा 21.48 लाख कृषक 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले लघु कृषक हैं। इस प्रकार दो तिहाई से अधिक लघु एवं सीमांत कृषक हैं जो महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पात्र वर्गो में शामिल हैं। आगामी पॉच वर्षो में कृषकों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत वृहद् स्तर पर on-farm तथा off-farm कार्य किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग व उद्यानिकी विभाग के अभिसरण से लिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। जिससे कि फसलों की उत्पादकता तथा कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ ही कृषि क्षेत्र से जुडे कृषक परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि संभव हो सके। जो उनकी स्थाई आजीविका का संसाधन बन सके। इस हेतु उक्त विभागों की योजनाओं / कार्यक्रमों के अभिसरण से "मेरा खेत–मेरी माटी" उपयोजना की आयोजना तैयार की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

1/ महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत निम्न श्रेणी के परिवारों के स्वामित्वाधीन भूमि अथवा कृषक के निवास की भूमि पर हितग्राही मूलक कार्य किये जा सकते है :–

(i) अनुसूचित जाति परिवार।
(ii) अनुसूचित जनजाति परिवार।
(iii) आदिम जनजाति परिवार।
(iv) अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवार।
(v) अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार।
(vi) ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है।
(vii) ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं।
(viii) भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार।
(ix) इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।
(x) वन अधिकार अधिनियम 2006, (2 of 2007) अन्तर्गत। लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक।
ग्राम पंचायत अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के पात्र हितग्राही लाभान्वित किये जाने के उपरांत।
(xi) लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना का कियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक ससाधनों के प्रबंधन (INRM) एप्रोच के तहत किये जाने हेतु निर्देश दिये है। अतएव बिन्दु i से x तक के कृषकों के समीप लघु व सीमान्त कृषक की भूमि आने पर उन्हें एकसाथ लाभान्वित किया जा सकेगा।

परन्तु महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणी के परिवारों के खेत–खलिहान में व्यक्तिगत कार्य निम्न शर्तो के अध्याधीन ही प्रारंभ किये जा सकते है :–

(i) उक्त श्रेणी के परिवार का जॉबकार्डधारी होना अनिवार्य होगा।
(ii) लाभार्थी अपनी खेत–खलिहान की भूमि अथवा कृषक के निवास की भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करेंगे।
(iii) लाभार्थी की भूमि या कृषक के निवास की भूमि पर लिये जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के Shelf of Project (SOP) का अनिवार्य रूप से हिस्सा होंगे।

2/ महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित श्रेणियों के परिवारों की निजी भूमि/कृषक के निवास की भूमि पर निम्न कार्य लिये जा सकते हैं :–

2.1 <u>On-farm अनुमत्य कार्य</u> (कृषि योग्य भूमि पर अनुमत्य कार्य)

(i) भूमि समतलीकरण (खेत भूमि सुधार)।

(ii) मेढ बंधान।
(iii) कुआँ निर्माण (कपिल धारा उपयोजना अन्तर्गत)
(iv) फार्म पौंड निर्माण।
(v) नाला बंधान / लघु स्टॉपडेम।
(vii) नर्सरी निर्माण।
(vii) कृषि–उद्यानिकी।
(viii) कृषि–वानिकी।

2.2 off-farm अनुमत्य कार्य (गैर कृषि योग्य भूमि पर अनुमत्य कार्य) :–

(i) NADEP निर्माण ।
(ii) Biogas निर्माण ।
(iii) Vermi-compost निर्माण ।
(iv) गाय–गैस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण ।
(v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से संबद्ध स्व--सहायता समूह को वायोखाद एवं कृषि उत्पाद को रखने के लिए छोटे गोदाम।

(vi) स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित वायोखाद तैयार किये जाने जैसी आजीविका गतिविधियों हेतु सामुदायिक शेड निर्माण।

3/ अनुमत्य कार्यों के संचालन के लिए निम्न कार्य किया जाना आवश्यक है :–

3.1 **अनुमत्य कार्य के फ्लैक्स लगाना** :– मनरेगा अधिनियम में वर्णित अनुमत्य कार्यों की सूची एवं उन कार्यों के लिये पात्र हितग्राही का विवरण दर्शाते हुए फ्लैक्स तैयार किया जावेगा।

3.2 **स्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त करना** :– ग्राम / ग्राम पंचायत का पटवारी नक्शा प्राप्त कर नक्शे में मनरेगा योजना के पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, स्वीकृत परंतु अप्रारंभ कार्यों तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन किया जावेगा।

3.3. **ग्राम कृषि विकास योजना**

- ग्रामवार मनरेगा में पात्र वर्ग के कृषकों का डाटावेस नेट प्लानिंग से
- विगत वर्षो में मनरेगा से निर्मित संरचनाओं का पटवारी रिकार्ड से इन्द्राज एवं नवीन गतिविधियों हेतु
- खेतवार कार्य का चिन्हांकन
- परिवार वार कार्य का चिन्हांकन

3.4 **ट्रांजिट वॉक** – उपयंत्री, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी तथा ग्राम के हिताधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा ग्राम का भ्रमण कर परिवारवार व खेतवार कार्य का चिन्हांकन एवं स्थल चयन किया जावेगा। ट्रांजिट वॉक के ठीक उपरांत उपयंत्री व ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा मौके पर सभी माप लेकर ही प्राक्कलन संयुक्त रूप से तैयार किये जावेंगे। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा जिसमें मजदूरी/सामग्री अनुपात 60:40 की स्थिति, कार्य में सृजित होने वाले मानव दिवस, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की संभावित तिथि, स्थल का चयन, भूमि की उपलब्धता, माप के आधार, एवं कार्य की उपयोगिता जैसी जानकारियां दर्शायी जावेंगी। कार्य की उपयोगिता से आशय यह है कि प्रस्तावित कार्य के अभाव में कृषक को क्या हानि हो रही थी जिसकी पूर्ति कार्य संपादन के उपरांत हो सकेगी। प्राक्कलित मात्रा एवं अनुमानित लाभ की जानकारी तकनीकी प्रतिवेदन दी जावे।

3.5 **कार्यों का सूचीकरण** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों को सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जावेगा।

3.6 **अभिसरण** –

गतिविधि का नाम	अभिसरण	
	मनरेगा	कृषि/उद्यानिकी
बलराम तालाब	मनरेगा अंतर्गत पात्र वर्ग के कृषकों के निजी भूमि लघु तालाब, खेत तालाब कृषक को संबंधित ग्राम पंचायत का जॉबकार्डधारी होना आवश्यक। मनरेगा से शत-प्रतिशत व्यय।	1.बड़े किसानों 2.लघु सीमान्त कृषक वर्ग जो कृषि ऋणमाफी एवं राहत योजना 2008 के पात्र नहीं है। 3. मनरेगा में पात्र परन्तु अन्य ग्राम पंचायत के हित में भूमि होने पर
बायोगैस	–	एमपी एग्रो एवं ऊर्जा विकास निगम
भूमि समतलीकरण तथा भूमि सुधार	मनरेगा से शत-प्रतिशत व्यय।	तकनीकी सहयोग

कुआँ निर्माण (कपिल धारा उपयोजना अन्तर्गत)	मनरेगा से शत–प्रतिशत व्यय।	1. विभागीय कार्यक्रमों के अंतर्गत कूप निर्माण उपरांत विद्युत / डीजल पंप हेतु अनुदान उपलब्ध कराना 2. तकनीकी सहयोग– फसल विशेष में सिंचाई की आवश्यकता हेतु प्रशिक्षण
फार्म पौंड निर्माण	मनरेगा से शत–प्रतिशत व्यय	तकनीकी सहयोग
नाला बंधान / लघु स्टॉपडेम।	मनरेगा से शत–प्रतिशत व्यय	तकनीकी सहयोग
नर्सरी निर्माण	मनरेगा से 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में नर्सरी निर्माण व रखरखाव	बीज, रासायनिक दवाई, पालीथीन बैग
कृषि–उद्यानिकी	मनरेगा से 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में नर्सरी निर्माण व रखरखाव	पौधा, रासायनिक दवाई, ड्रिप / स्प्रिक्लर आदि
कृषि–वानिकी	मनरेगा से 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में नर्सरी निर्माण व रखरखाव	पौधा, रासायनिक दवाई, ड्रिप / स्प्रिक्लर आदि
NADEP निर्माण	मनरेगा से नाडेप पिट निर्माण 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में	विभागीय पद्धति से प्रावधानित अनुदान अतिरिक्त सामग्री हेतु
Vermi-compost निर्माण	मनरेगा से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में	विभागीय पद्धति से प्रावधानित अनुदान अतिरिक्त सामग्री हेतु
गाय–भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण	मनरेगा से केवल शेड निर्माण 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में पंचायत स्तर पर	पशुधन का प्रदाय विभागीय योजना / कार्यक्रम
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से संबद्ध स्व–सहायता समूह को बायोखाद एवं कृषि उत्पाद को रखने के लिए छोटे गोदाम।	मनरेगा से केवल छोटे गोदाम निर्माण 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में पंचायत स्तर पर	तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण

स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित वायोखाद तैयार किये जाने जैसी आजीविका . गतिविधियों हेतु सामुदायिक शेड निर्माण	मनरेगा से केवल सामुदायिक शेड निर्माण 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात की सीमा में पंचायत स्तर पर	तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण व उचित दाम प्राप्त करने हेतु बाजार व्यवस्था

3.7 **60:40 अनुपात का ध्यान रखना** – मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के अनुपात के न्यूनतम मापदण्ड से कम नहीं होना चाहिये। निर्धारित अनुपात प्रत्येक कार्यवार न होकर ग्राम पंचायत के स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये रखा जाना चाहिए।

3.8 **लेबर बजट तैयार करना**– प्रत्येक जिले में रोजगार की मांग के आधार पर सृजित होने वाले मानवदिवस एवं क्रियान्वित होने वाले कार्यों की लागत के अनुसार लेबर बजट तैयार किया जाना है। लेबर बजट त्रि-स्तरीय पचायत राज संस्थाओं के अनुमोदित होना आवश्यक है।

3.9 **कार्यों की प्राथमिकता तय करना** – मनरेगा अधिनियम की अनुसूची – 1 में अनुमत्य कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक सीजन जैसे गर्मी, बरसात, शीत एवं वसंत ऋतु में कौन से कार्य लिये जाने हैं यह स्पष्ट हो सके।

3.10 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना** – लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की मांग प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। लेबर बजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण किया जावेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार किया जावेगा।

3.11 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन** – ग्राम का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ

ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जनपद पंचायत द्वारा एवं जनपद पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा।

3.12 **कार्यों की स्वीकृतियां – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति** – ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन जिला दर अनुसूची जो 01 अप्रैल 2013 के बाद जारी हुई के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

3.13 **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का नरेगा सॉफ्ट में संकलन** – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट मे सम्मिलित कार्यो का संकलन नरेगा सॉफ्ट में किया जावेगा।

4/ **प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर डीपीआर फ्रीज करना** – अनुमोदित शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त होने के पश्चात कार्यों के डीपीआर नरेगा साफ्ट में फ्रीज किये जावेंगे।

5/ **कार्यों की कियान्वयन** – मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों की कियान्वयन एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत रहेगी। कार्य का संपादन ई–मस्टर रोल पद्धति से जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा किया जावेगा। जाबकार्डधारी कृषक परिवार द्वारा अथवा किन्हीं सदस्य द्वारा स्वयं की भूमि में कार्य संपादन में स्वयं कार्य करना होगा जिसकी मजदूरी अन्य श्रमिकों के समान उन्हें भी प्राप्त होगी।

5.1 **क्रियाशील जॉबकार्डधारी समूहों द्वारा कार्य का सम्पादन** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशील जॉबकार्डधारियों के भूमिहीन तथा भूमिधारी पृथक–पृथक समूह गठित किये गये है। प्रत्येक समूह में 30 परिवार सदस्य होंगे। समूह के सदस्यों द्वारा कार्य पर्यवेक्षक के रूप में मेट का चयन किया गया है। मेट की योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। मेट के मुख्य कार्य समूह से रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदन संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत करना, पावती प्राप्त कर सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराना, कार्यस्थल पर श्रमिकों की ई–मस्टर रोल पर उपस्थिति लेना, कार्य का प्रारंभिक माप दर्ज करना आदि है।

5.2 **रोजगार सप्ताह से कार्य को प्रारंभ करना** – प्रत्येक ग्राम पंचायत मे कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन का निर्धारण पूर्व से ही किया गया है। जिसे "रोजगार गारंटी दिवस" कहा जाता है। कार्य प्रारंभ होने के 06 दिन उपरांत उपयंत्री द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जावेगा। इस प्रकार, रोजगार सप्ताह में कराए गए कार्य के मूल्यांकन उपरांत एफटीओ के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

5.3 **मजदूरी भुगतान 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करना** – कार्य का संपादन ई–एफएमएस प्रणाली से एवं अधिनियम अनुसार 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान करना वैद्यानिक बाध्यता है। उपयंत्री द्वारा कार्य के साप्ताहिक मूल्यांकन पश्चात् सहायक लेखाधिकारी मनरेगा, एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमआईएस सुनिश्चित करते हुये एफटीओ जारी कर श्रमिको एवं सामग्री प्रदायदाता को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के खातों में भुगतान किया जावेगा।

5.4 **खसरे में दर्ज करना** – कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पटवारी के नक्शे - खसरे में आवश्यक जानकारी का इन्द्राज किया जाना है।

5.5 **सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता** – ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए गए प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है।

6/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक (आत्मा), सहायक संचालक कृषि तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त बैठक आहूत की जावेगी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में परिपत्र की कंडिका 6 में वर्णित हितग्राहियों के लिए कंडिका 7 में उल्लेखित कार्यों के लिए न्यूनतम 33% राशि व्यय हो, इस हेतु रणनीति तैयार की जावेगी।

7/ उक्त दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो इस हेतु उपसंचालक कृषि, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद से लगातार समन्वय स्थापित करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम पंचायतो की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित

कराने हेतु ग्राम पंचायतों से समन्वय तथा सम्पर्क स्थापित करेंगे। उपसंचालक (कृषि), जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कंडिका 6 में पात्र कृषक हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन में सेतु का निर्वहन करेंगे। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट दिनांक 26 जनवरी, 2014 की ग्राम सभा में अनुमोदन होने हैं अतः प्रत्येक ग्रामसभा में कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (संख्या कम पड़ने पर राजस्व विभाग के अमले) की तैनाती सुनिश्चित कर इस उपयोजना के हितग्राही मूलक कार्य शामिल कराने की कार्यवाही की जावे।

8/ इस उपयोजना के कार्यों के लिए कार्यों के चयन, प्राक्कलन, स्वीकृति, मूल्यांकन, भुगतान तथा पर्यवेक्षण के लिए म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देश यथावत लागू होंगे।

9/ समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्य के मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण में भी ग्राम पंचायतों को सतत एवं सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा साधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा एवं अंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।

10/ कार्यों का निष्पादन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवीन परिपत्र क्रमांक 2 दिनांक 20 फरवरी 2013 के अधीन सम्पन्न किया जावेगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावेगा। मूल्यांकन का कार्य सम्बन्धित उपयंत्री मनरेगा अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

11/ श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में फीड किये गये खातों में जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से निर्धारित अवधि में किया जावेगा। जिन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खुले हैं उन हितग्राही कृषकों के खाते खुलवाने में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहयोग करेंगे।

12/ वर्ष 2014–15 में उक्त हितग्राही मूलक उपयोजना में प्रत्येक जिले द्वारा महात्मागांधी नरेगा में किए गए कुल व्यय का 33% से अधिक व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त कार्य राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ति की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस संयुक्त परिपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

डॉ. राजेश राजोरा
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
(किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)

डॉ. अरुणा शर्मा
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि

पृ. क्रमांक 9889/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक 30/12/13
प्रतिलिपि :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
3. आयुक्त, मनरेगा
4. आयुक्त, पंचायतीराज ।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
6. संचालक, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
7. समस्त संभागायुक्त
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.
9. समस्त संयुक्त संचालक,(कृषि कल्याण तथा कृषि विकास)
10. समस्त कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)
11. समस्त उपसंचालक (आत्मा)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीणविकास विभाग
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को सूचनार्थ
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर ।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
(किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

कमांक 476 / प्रस / 2014 भोपाल, दिनांक 11.2.2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।
समस्त उप संचालक,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— **मेरा खेत मेरी माटी** उप योजनान्तर्गत Shelf of Projects में शामिल कार्यों को शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ किए जाने विषयक ।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागतथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी मेरा खेत मेरी माटी उप योजनान्तर्गत दिनांक 26 जनवरी 2014 को ग्रामसभा में Shelf of Projects को अंतिम रूप दिया गया था । इस संबंध में 51 जिलों में 15794 ग्राम पंचायतों की संकलित जानकारी के अन्तर्गत On farm अनुमत्य कार्य प्रस्तावित लागत रू. 3762 करोड़, Off farm अनुमत्य कार्य प्रस्तावित लागत रू. 1810 करोड़ एवं सामुदायिक के कार्यों की प्रस्तावित लागत रू 339 करोड़, इस प्रकार कुल प्रस्तावित कार्यक्रम रूपये 5912 करोड़ की जानकारी संकलित की गई है, जो संलग्न है ।

2/ संकलित जानकारी में कुल 23006 ग्राम पंचायतों में से 7026 ग्राम पंचायतों की जानकारी समाहित नहीं की गई है । इस संबंध में प्रेषित संकलित जानकारी का परिमार्जन तथा परिवर्तन करें एवं इस संबंध में जानकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी परिषद को प्रेषित करते हुए उनकी नियत वेबसाइट पर इन्द्राज करने के साथ ही एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करें ।

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेरा खेत मेरी माटी उप योजना का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता से तत्काल प्रारम्भ किया जावे । इस संबंध में कार्यवार Micro- Planning की आवश्कता होगी । इस हेतु कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द्वारा ग्राम पंचायत समूहों की कलस्टर की बैठकें आयोजित करें जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के निर्देशों के

तहत समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद कार्य के पूर्ण किए जाने में आ रही समस्याओं/बाधाओं का निराकरण करने के लिए ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । इन बैठकों में ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के साथ ही संबंधित कलस्टर के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा अन्य मैदापी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे तथा उप योजना के प्रत्येक कार्य के लिए मैदानी स्तर के कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण कलस्टर संबंधी बैठकों में सुनिश्चित किया जावे । कलस्टर बठकों के आयोजन के लिए समस्त उप संचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) मैदानी कर्मचारियों यथा RAEO,ADEO,SADO,AD आदि के नाम, प्रभार के ग्राम तथा मोबाईल नं. की जानकारी समक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष में सौपेंगे ताकि कलस्टर्सवार बैठकों में उन्हें आमंत्रित किया जा सके ।

4/ मेरा खेत मेरी माटी उप योजना की 15 दिवस में उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर समस्त कार्य प्रारम्भ कराए जावें तथा प्रारम्भ कार्यों की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जावे ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

पृ0कमांक 437/प्रस/2014 भोपाल, दिनांक 11.2.2014

प्रतिलिपिः—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ तथा कलस्टर संबंधी बैठकों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किए जाने हेतु ।
3. आयुक्त, नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश की ओर समन्वय हेतु सूचनार्थ ।
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कर्मचारिों की कलस्टर की बैठकों तथा उक्त उप योजना के कार्यों को प्रारम्भ करने में महती भूमिका निर्वहन के निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

"मेरा खेत–मेरी माटी" उपयोजना अन्तर्गत जिलावार प्रस्तावित कार्यक्रम

क्र.	जिला	ग्राम पंचायत की संख्या	ग्रामां की संख्या	हितग्राही की संख्या	ऑन फार्म अनुमत्य कार्य		ऑफ फार्म अनुमत्य कार्य		सामुदायिक कार्य		कुलप्रस्तावित कार्यक्रम (रू. लाख में)
					संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भोपाल	195	498	2052	1354	104.70	933	128.20	169	1526.00	**1758.90**
2	सीहोर	243	455	24810	30436	31988.92	34949	8708.30	8	40.00	**40737.22**
3	रायसेन	498	1433	8918	4950	4424.00	3096	1892.00	872	6480.40	**12796.40**
4	विदिशा	92	214	2316	1532	1362.24	1174	355.77	22	165.00	**1883.01**
5	राजगढ	135	227	4150	2538	1280.63	1612	768.96	0	0.00	**2049.59**
6	होशंगावाद	297	573	8906	3715	3825.79	8760	19013.37	5	15.00	**22854.16**
7	हरदा	211	572	6271	4015	4786.07	4853	2298.32	0	0.00	**7084.39**
8	बैतूल	334	698	27625	30303	20759.57	30996	8702.59	174	984.21	**30446.37**
9	इन्दौर	86	124	625	207	163.00	388	67.78	0	0.00	**230.78**
10	धार	445	777	30753	16746	7879.01	15505	7409.96	151	467.70	**15756.67**
11	झाबुआ	345	727	21529	12052	9120.98	16095	5291.25	289	424.40	**14836.63**
12	अलीराजपुर	287	541	26988	24134	22307.00	16484	6274.00	400	5795.00	**34376.00**
13	खरगोन	602	1062	26898	14507	58291.90	15609	7314.05	0	0.00	**65605.95**
14	बडवानी	417	655	16299	9473	2699.65	6815	1011.22	3	10.19	**3721.06**
15	खंडवा	164	272	4464	1556	600.57	4170	749.74	108	85.39	**1435.70**
16	बुरहानपुर	139	214	4220	2678	2613.65	1870	1228.99	11	9.00	**3851.64**
17	उज्जैन	609	1088	11441	5806	2746.20	4947	1548.96	1379	1279.04	**5574.20**
18	रतलाम	222	455	6173	1249	195.35	508	153.14	322	2899.05	**3247.54**
19	मंदसौर	326	514	5674	3496	1564.80	5398	644.24	0	0.00	**2209.04**
20	नीमच	174	468	1194	506	633.25	452	85.50	5	26.50	**745.25**
21	शाजापुर	247	407	5344	4686	4842.26	5536	3444.15	0	0.00	**8286.41**

क्र.	जिला	ग्राम पंचायत की संख्या	ग्रामां की संख्या	हितग्राही की संख्या	ऑन फार्म अनुमत्य कार्य		ऑफ फार्म अनुमत्य कार्य		सामुदायिक कार्य		कुलप्रस्तावित कार्यक्रम (रू. लाख में)
					संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	आगर मालवा	227	492	11417	3589	6536.01	7848	3809.10	10	150.00	**10495.11**
23	देवास	121	164	1301	658	1153.79	669	264.62	14	98.50	**1516.91**
24	सागर	289	630	12010	6031	4321.07	9016	2128.14	41	259.58	**6708.79**
25	दमोह	461	1069	53452	36119	23864.58	17333	2306.56	0	0.00	**26171.14**
26	छतरपुर	81	113	3024	1851	189.21	1120	112.00	53	7.80	**309.01**
27	टीकमगढ	459	831	6014	2906	2056.12	3108	312.00	1	15.00	**2383.12**
28	पन्ना	303	570	7398	5157	2719.05	2306	698.43	191	506.11	**3923.59**
29	जबलपुर	377	839	13067	6515	1377.93	6459	1307.28	0	0.00	**2685.21**
30	कटनी	295	638	21065	9727	5708.03	15838	4959.95	272	4929.60	**15597.58**
31	सिवनी	499	1128	10422	5575	3264.06	4637	797.13	508	479.30	**4540.49**
32	बालाघाट	693	442	5819	3192	1999.14	2935	811.20	15	12.00	**2822.34**
33	मंडला	223	507	21313	12947	2772.03	8671	996.03	0	0.00	**3768.06**
34	छिदवाडा	556	1292	27021	17646	27363.00	9629	4680.00	276	444.00	**32487.00**
35	नरसिंहपुर	179	273	4547	3543	1123.74	2918	1047.76	11	26.00	**2197.50**
36	ग्वालियर	168	286	5103	1203	610.85	5555	1364.26	0	0.00	**1975.11**
37	शिवपुरी	460	702	12649	6841	4644.06	8348	3496.58	0	0.00	**8140.64**
38	गुना	283	668	9037	5515	5721.01	7353	3744.00	121	268.00	**9733.01**
39	अशोकनगर	334	792	9299	7775	4364.05	5915	1522.12	42	215.45	**6101.62**
40	दतिया	131	229	1911	1314	353.60	631	74.05	0	0.00	**427.65**
41	मुरैना	491	785	15919	8605	3978.91	10199	8195.69	318	1368.00	**13542.60**
42	भिण्ड	231	390	2201	0	1417.44	0	1285.33	0	251.00	**2953.77**
43	श्योपुर	51	103	1845	1118	381.50	1198	912.91	27	146.00	**1440.41**
44	रीवा	615	1465	28015	14133	6954.54	20518	6548.41	179	639.55	**14142.50**
45	सतना	637	1717	43122	42985	22132.17	25453	7502.06	239	1057.54	**30691.77**

क्र.	जिला	ग्राम पंचायत की संख्या	ग्रामां की संख्या	हितग्राही की संख्या	ऑन फार्म अनुमत्य कार्य		ऑफ फार्म अनुमत्य कार्य		सामुदायिक कार्य		कुलप्रस्तावित कार्यक्रम (रू. लाख में)
					संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	संख्या	प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	सीधी	400	179	3867	3867	2679.79	3867	965.42	0	0.00	**3645.21**
47	सिगंरोली	161	294	3769	4284	4244.09	2929	886.46	31	254.10	**5384.65**
48	शहडोल	391	828	13981	20316	162.43	12084	8.01	333	35.55	**205.99**
49	उमरिया	234	619	9610	15973	11639.55	6905	1015.77	2	0.20	**12655.52**
50	अनुपपूर	258	521	23467	24467	14579.60	23381	9560.50	290	1112.00	**25252.10**
51	डिण्डोरी	118	205	7885	5153	25765.00	6522	32610.00	293	1465.00	**59840.00**
	योग :–	**15794**	**30745**	**636200**	**454944**	**376265.89**	**413495**	**181012.26**	**7185**	**33947.16**	**591225.31**